भारत सरकार

योजना मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2189

दिनांक 12.03.2025 को उत्तर देने के लिए

ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजनाओं के प्रभाव

2189. **श्री मनीश तिवारी:**

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, क्रूज टर्मिनल, विमान पत्तन और पर्यटन सुविधाओं सहित 72,000 करोड़ रुपये की ग्रेट निकोबार द्वीप मेगा-इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के पूरा होने की समय-सीमा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने रणनीतिक, आर्थिक और पर्यटन लक्ष्यों को प्राप्त करने में परियोजना की प्रभावकारिता का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा रणनीतिक और सुरक्षा चिंताओं के आधार पर पर्यावरण मंजूरी के संबंध में आरटीआई अनुरोधों को अस्वीकार करने के क्या कारण हैं;

(घ) बड़े पैमाने पर विकास कार्यकलापों के बीच ग्रेट निकोबार द्वीप की स्वदेशी जनजातियों के अधिकारों, संस्कृति और कल्याण की रक्षा के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने संभावित पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों के बारे में विशेषज्ञों या हितधारकों से परामर्श या अनुमोदन मांगा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं
राज्यमंत्री, संस्कृति मंत्रालय

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) से (ङ)

i. व्यय विभाग से दिनांक 08.08.2023 को 30 वर्षों की अवधि के लिए 81,000 करोड़ रु. की अस्थाई लागत के साथ ग्रेट निकोबार द्वीप के समग्र विकास के लिए लक्षित इस परियोजना के लिए "सैद्धांतिक रूप से" मंजूरी प्राप्त हो गई है।

ii. ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना के विकास से जुड़े प्रस्ताव पर निर्णय संभावित पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों पर उचित विचार करने के पश्चात् तथा इन विकासात्मक परियोजनाओं के महत्वपूर्ण रणनीतिक, रक्षा और राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) द्वारा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास के लिए दिनांक 04.11.2022 को तथा अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट (आईसीटीपी), टाउनशिप और पावर प्लांट के लिए दिनांक 11.11.2022 को पर्यावरणीय मंजूरी दी गई है। पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी की प्रक्रिया में प्रभावों के आकलन के लिए परियोजना की जांच और स्क्रीनिंग, प्रभावकारिता, सार्वजनिक परामर्श, और मूल्यांकन जैसे विभिन्न चरणों के माध्यम से पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) तैयार करना शामिल है।

iii. पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) करने के लिए कई अध्ययन किए गए और शीर्ष वैधानिक तथा गैर-वैधानिक निकायों द्वारा उनके परिणामी शमन उपायों के बारे में अध्ययन किए गए। विज्ञान और अभियांत्रिकी क्षेत्र के विशेषज्ञों की एक स्वतंत्र विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) द्वारा परियोजना के मूल्यांकन के दौरान ईआईए/ईएमपी की विस्तृत जांच की गई।

iv. इसके अलावा, ईएमपी के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए पर्यावरणीय मंजूरी के लिए निर्धारित तीन स्वतंत्र निगरानी समितियां जैसे प्रदूषण संबंधी मामलों की देखरेख के लिए समिति; जैव विविधता संबंधी मामलों की देखरेख के लिए समिति; शोम्पेन और निकोबारीज़ से संबंधित मुद्दों और कल्याण की देखरेख के लिए समिति का गठन पहले ही किया जा चुका है और इन समितियों की नियमित रूप से बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं।

v. यह भी कहा गया है कि ग्रेट निकोबार द्वीप में पर्यावरणीय मंजूरी और जनजातीय समुदायों के कल्याण विषयक मामला मीना गुप्ता बनाम भारत संघ एवं अन्य शीर्षक 2024 के डब्लयूपी (पी) सं.12 के तहत कोलकाता के माननीय उच्च न्यायालय में और आशीष कोठारी द्वारा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, पूर्वी क्षेत्र बेंच, कोलकाता के समक्ष दायर आवेदन सं.93/2024/ईज़ेड के तहत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन है।

*****